भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3018
13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जमे हुए खाद्य पदार्थों में एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग

3018. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:
श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मांस और मुर्ग उत्पादों में एंटीबायोटिक अवशेषों की अनुमत्य सीमा का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में एफएसएसएआई का अनुपालन तंत्र क्या है;

(ख) क्या वर्तमान विनियामक रूपरेखा इस उद्योग में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त है और यदि नहीं, तो इसे सुदृढ़ करने के लिए क्या परिवर्तन करने आवश्यक हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उच्च स्तर के एंटीबायोटिक्स अवशिष्ट वाले मुर्ग और मांस के जमे हुए खाद्य उत्पादों की आपूर्ति करने वाले निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किए गए हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है साथ ही भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या एफएसएसएआई ने उक्त उत्पादों में एंटीबायोटिक अवशेष मानकों का अनुपालन न करते पाए गए आपूर्तिकर्ताओं और निर्माताओं पर अर्थदंड/शास्तियां लगाई हैं और उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एफएसएसएआई मुर्ग और मांस के आपूर्तिकर्ताओं और जमे हुए खाद्य पदार्थों के निर्माताओं दोनों को इन उत्पादों का एंटीबायोटिक अवशेष मानकों पर खरा उतरना सुनिश्चित करने के लिए उन्हें संयुक्त रूप से उत्तरदायी बनाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) एफएसएसएआई द्वारा ऐसे उत्पादों का पूरी आपूर्ति श्रृंखला में एंटीबायोटिक अवशेष मानकों पर खरा उतरना सुनिश्चित करने हेतु आपूर्तिकर्ताओं और निर्माताओं का उत्तरदायित्व तय करने के लिए किए गए/किए जाने वाले उपाय क्या हैं; और

(छ) एफएसएसएआई एंटीबायोटिक अवशेषों के लिए मुर्ग और मांस उत्पादों का परीक्षण और निरीक्षण किस प्रकार करता है और क्या ये परीक्षण उल्लंघन का पता लगाने में प्रभावी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011 को अधिसूचित किया है, जिसमें मांस और पोल्ट्री के लिए 43 एंटीबायोटिक दवाओं की अनुमेय सीमा निर्दिष्ट की गई है। इसके अतिरिक्त, इन विनियमों के तहत 19 एंटीबायोटिक दवाओं और पशु चिकित्सा दवाओं की सूची भी निर्दिष्ट की गई है, जिन्हें मांस और मांस उत्पादों और पोल्ट्री के प्रसंस्करण के किसी भी चरण में उपयोग करने की अनुमति नहीं है। एफएसएसएआई और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण मांस और मांस उत्पादों सहित खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, निरीक्षण और नमूना चयन करते हैं।

ऐसे मामलों में, जहां खाद्य पदार्थ के नमूने अननुरूप पाए जाते हैं, एफएसएस अधिनियम 2006, उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार दोषी खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है।

(ग) और (घ): मांस एवं मांस उत्पादों (फ्रोजन सहित), मछली एवं मछली उत्पादों (फ्रोजन सहित) तथा अंडा एवं अंडा उत्पादों के लिए विभिन्न मापदंडों पर परीक्षण किए गए प्रवर्तन आंकड़े तथा शुरू किए गए मामले एवं लगाए गए जुर्माने का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ङ) और (च): खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 की धारा 26 और 27 खाद्य व्यवसाय संचालक के उत्तरदायित्व तय करती हैं और क्रमशः निर्माताओं, पैकर्स, थोक विक्रेताओं, वितरकों और विक्रेताओं के दायित्व को परिभाषित करती हैं। धारा 26 के अनुसार, प्रत्येक खाद्य व्यवसाय संचालक को यह सुनिश्चित करना होगा कि खाद्य पदार्थ उसके नियंत्रण में व्यवसायों के भीतर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और बिक्री के सभी चरणों में एफएसएस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

(छ): एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और विश्लेषण के लिए संसाधनों का एक व्यापक सेट प्रकाशित किया है, जिसमें पोल्ट्री के साथ मांस और मांस उत्पादों सहित विभिन्न खाद्य वस्तुओं के विश्लेषण के तरीकों संबंधी मैनुअल शामिल हैं।

******

अनुलग्नक

मांस और मांस उत्पाद (जमे हुए उत्पादों सहित)

वर्ष	विश्लेषित नमूनों की संख्या	अननुरूप नमूनों की संख्या	शुरू किए गए आपराधिक मामलों की संख्या	लगाया गया जुर्माना (रु.)	शुरू किये गये सिविल मामलों की संख्या	लगाया गया जुर्माना (रु.)
2022-23	325	54	17	0	2271*	1266000
2023-24	300	71	31	60000	174	2536500

* इसमें बिना लाइसेंस वाले परिसरों के लिए शुरू किए गए विशेष अभियान के आंकड़े शामिल हैं।

मछली और मछली उत्पाद (जमे हुए उत्पादों सहित)

वर्ष	विश्लेषित नमूनों की संख्या	अननुरूप नमूनों की संख्या	शुरू किए गए आपराधिक मामलों की संख्या	लगाया गया जुर्माना (रु.)	शुरू किये गये सिविल मामलों की संख्या	लगाया गया जुर्माना (रु.)
2022-23	189	31	2	0	6	25000
2023-24	219	58	7	45000	21	23500

अंडा और अंडा उत्पाद

वर्ष	विश्लेषित नमूनों की संख्या	अननुरूप नमूनों की संख्या	शुरू किए गए आपराधिक मामलों की संख्या	लगाया गया जुर्माना (रु.)	शुरू किये गये सिविल मामलों की संख्या	लगाया गया जुर्माना (रु.)
2022-23	114	7	0	42000	7	0
2023-24	114	0	0	0	3	0

******